समाचार विचार

एकीकरण की अभिव्यक्ति का मंच प्रथम प्रकाशन , अक्तूबर 2012

हमने इस संवाद को फॉन्ट, अंतर और संरेखण के मामले में जहाँ तक हो सका है सुलभ बनाने का प्रयास किया है।

ऑडियो और ब्रेल प्रतियों के लिए और योगदान भेजने के लिए हमें इस पते पर लिखें :
एक्शन फॉर एबीलिटी डेवलेपमेन्ट एंड इन्क्लूज़न
२, बलबीर सक्सेना मार्ग , हौज़ खास
नई दिल्ली - १६
ई मेल : aadi@aadi-india.org
वेब साइट : **www.aadi-india.org**

यह सूचनापत्र उन सभी लोगों का एक प्रयत्न है जो विकलांगता के प्रति संवेदनशील हैं - चाहे वे खुद विकलांग व्यक्ति हों या उनके सहायक, दोस्त, स्वयंसेवी, नीति बनाने वाले अधिकारी या कोई विशेषज्ञ हों। यह सूचनापत्र हम सभी को अपनी भावनाओं और अपनी आकांक्षाओं को प्रकट करने के लिए एक समान मंच और मौका देता है ।

समाचार-विचार के इस प्रकाशन के मुद्दों पर मिलकर कार्य करने के दौरान, हम सभी ने अपनी क्षमताओं का अनुभव किया (व्यक्तिगत व संगठित रूप से) और काफी संतोषजनक रहा । इस कार्य को संपन्न करने के लिए उन सभी सदस्यों से संपर्क किया गया जिनसे हम पहले कम परिचित थे ।इस कार्य को आगे बढ़ाते समय हमने परस्पर योग्यताओं को समझा, सराहा तथा उन्हें नवीन कार्यक्षेत्रों जैसे संकल्पना करना, संपादन, अनुवाद तथा रूपरेखा बनाने में प्रयोग किया । क्योंकि यह मंच अपने आपसी अनुभवों के आदान - प्रदान करने के लिए है इसलिए हम अपने पाठकों से इसमें सम्मिलित होने की अपेक्षा रखते हैं। इस प्रयास से हमें यह आशा है कि हम सब मिलकर इस विश्व को बेहतर जगह बना सकते हैं ।

प्रत्यक्ष दिखाई देने की आवश्यकता

- अमृत हलान

विभिन्न विकलांगताओं में सुगमता की समस्या विश्वव्यापी है। लेकिन भारत में अज्ञानतावश व असुगम सार्वजनिक व निजी स्थानों के कारण यह समस्या गंभीर है।

स्पष्ट बात कहूँ तो मेरा मानना है कि अज्ञानता केवल विकलांगता से जुड़ी नहीं है बल्कि मनुष्य के प्रति अज्ञान रहना हमारे देश की सामाजिक बुनियाद में कूट-कूट कर भरा हुआ है ।

गाँव और शहरों में व्याप्त उदासीनता और अज्ञानता के बावजूद असुगमता की समस्या को हल्के से नहीं लिया जा सकता । अधिकतर यह उदासीनता की बुनियाद विकलांग लोगों के अदृश्य रहने में है। इसलिए हम किसी भी गाँव , सड़क या रास्ते पर विकलांग व्यक्ति को अक्सर नहीं देखते । उन्हें या तो भगा दिया जाता है या फिर वह स्वंय चार दीवारी के भीतर रहना पसंद करते हैं ।

आपको सुगम स्थान चाहिए तो सर्वप्रथम आपको उन स्थानों पर जाना होगा **....**लोगों को अवगत कराना होगा, कि आपको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता हैं ।

हाँ, यह सच बात है कि यातायात के साधन सुगम नहीं हैं लेकिन यह समस्या सरकारी यातायत तक सीमित नहीं है। इस समस्या से सम्बन्धित अन्य भी प्रश्न उठते हैं, जैसे हमारे दोस्त और रिश्तेदारों के घर कितने सुगम हैं ? आपका अपना घर किस हद तक विकलांग व्यक्ति के लिए सुगम है?

मान लीजिए कि आपको सुगम यातायात का साधन मिल भी जाए पर फिर भी उस जगह पर पहुँच कर आप अपने आसपास के क्षेत्रों को असुगम पाते हैं । उदाहरण के लिए आप बस से उतरकर भी सड़क इसलिए पार नहीं कर पाते क्योंकि सड़क के बीच एक बड़ा और बदसूरत विभाजक मिलता है या पटरी टूटी हुई मिलती है ।यदि आप जैसे-तैसे सड़क में घुस भी जाएँ, पर जिस व्यक्ति से आप मिलने गए हैं, हो सकता है वह पहली मंजिल पर रहते हों या आप को अंदर जाने के लिए कुछ सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ें या आपके और दरवाज़े के बीच कोई खुली नाली हो सकती है। समस्याएँ तो अनन्त हैं परंतु प्रश्न यह है कि आप इनका सामना कैसे करेंगें ?

इस समस्या का समाधान आसान तो नहीं है परन्तु इससे निपटने के लिए आप शुरूआत अपने को अधिक प्रत्यक्ष बनाकर कर सकते हैं, जहाँ तक आपका जाना मुमकिन हो, वहाँ ज्यादा से ज्यादा जाएँ। चाहे आप किसी गाँव, शहर, राजधानी या मोहल्ले में रहते हों, कोशिश करें कि आप समाज का हिस्सा बनें। ऐसा करना कठिन हो सकता है पर असम्भव नहीं। एक बार जब आपने बाहर निकलना शुरू कर दिया, अचानक आने वाली समस्याओं और परिस्थितियों का सामना करना शुरू कर दिया , तब आप स्वयं नए समाधान खोज पाएँगें । मेरा यह सुझाव परिकल्पित नहीं है क्योंकि मैंने ठोकरें खाकर, समस्याओं व रुकावटों का हल निकालने का सीधा-सीधा अनुभव किया है। जितना बाहर जाकर लोगों से मिलेंगे, उतना ही वह आपकी उपस्थिति से परिचित होंगें ।सामाजिक बदलाव ऐसे ही घर बैठकर नहीं आ सकता । अगर आपको सुगम स्थान चाहिए तो सर्वप्रथम आपको उन स्थानों पर जाना होगा जो असुगम हैं और फिर लोगों को अवगत कराना होगा कि आपको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तब उन सभी व्यक्तियों में से कम से कम कुछ लोग तो यह सोचने पर मजबूर होंगें, कि यह टूटी सीढ़ियों की जगह एक रैम्प क्यों नहीं बन सकता?

एक बार जब आपने बाहर निकलना शुरू दिया, अचानक आने वाली समस्याओं और परिस्थितियों का सामना करना शुरू कर दिया , तब आप स्वयं नए समाधान खोज पाऐंगें

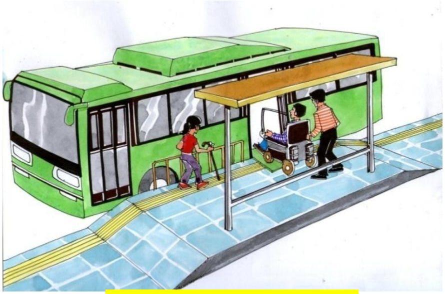

सुगम यातायात का उदाहरण

मेरे अनुसार इसी प्रकार से एक सुगम समाज की उत्पत्ति हो सकती है, न कि केवल आरामदायक घर पर बैठे -बैठे हालातों पर शोक मनाने से ।

इसलिए मेरा आग्रह है कि आप सभी अपने घरों से बाहर निकलिए , हो सकता है केवल सड़क के उस पार ही जाना हो, पर लोगों की दृष्टि में जरूर आएँ ।

आदि का सफर

एक ऐसी दुनिया जिसमें विकलांग व्यक्ति समाज का एक अंतरंग हिस्सा हो तथा उन्हें सम्पूर्ण जीवन जीने के लिए बराबर सुविधाएँ तथा अवसर उपलब्ध हो ।

<u>प्रबन्ध की रूपरेखा और उसका हमारे काम पर प्रभाव</u>

भारत के यू.एन.सी.आर.पी.डी के अनुसमर्थन करने से सभी विकलांग व्यक्तियों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार प्राप्त होता है। सभी विकलांग व्यक्तियों को अपने जीवन के बारे में स्वयं निर्णय लेने, समुदाय में रहने, परिवार बढ़ाने और शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन व रोज़गार तक पहुँच का अधिकार प्राप्त है । निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार द्वारा विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा के रास्ते खुल जाते हैं। वर्तमान में हमारे काम के फोकस के उदाहरण हैं -

पिछले 34 वर्षो से आदि में हमने अपने कार्य को विकलांग व्यक्तियों की जरूरतों के आधार पर ही दिशा दी है और सशक्त होकर आगे बढ़े हैं ।

<u>शहरी और ग्रामीण समुदाय पर आधारित कार्यक्रम</u>

हमारे कार्यक्रम का केंद्र बिंदु विकलांग व्यक्तियों के वास और पुर्नवास की आवश्यकताओं पर आधारित है । ग्रामीण कार्यक्रम जहाँ फरीदाबाद जिले के बल्लभगढ़ ब्लाॅक में कार्य करता है वहीं शहरी कार्यक्रम की शुरूआत दक्षिणी दिल्ली के छत्तरपुर क्षेत्र से है। सामुदायिक स्तर पर हमारा प्रयास है कि विकलांग व्यक्ति जहाँ रहता है हम उसे उसी समुदाय में निकटतम स्थान पर स्वास्थ्य, शिक्षा, रोज़गार और सामाजिक सुविधाओं की व्यवस्थित कर उन्हें शक्तिशाली बनाएँ और सुविधाओं को बढ़ाएँ। व्यक्तिगत स्तर पर हमारा प्रयास अधिक से अधिक व्यक्ति की आत्मनिर्भरता व जीवन के प्रत्येक क्षेत्र जैसे शारीरिक , मानसिक, सामाजिक , व्यावसायिक योग्यता का पूरा समावेशन व भागीदारी प्राप्त करने व बनाए रखने का होता है ।

- दिल्ली नगर निगम के साथ हमारा प्रयास कार्यप्रणाली में बदलाव लाकर सभी के लिए शिक्षा में गुणवत्ता लाना है जिसमें विकलांग छात्र भी शामिल हैं ।
- राजस्थान के अलवर में बोध शिक्षा संस्थान के साथ हमारा कार्य अच्छी शिक्षा के तरीके अपनाकर समेकित शिक्षा को बढ़ावा देना और विकलांग छात्रों को व्यक्तिगत सहयोग देना है।

क्षमता निर्माण कार्यक्रम

यह इस विश्वास के साथ बना है कि समाज में सभी सेवा प्रदान करने वालों तक विकलांग व्यक्तियों की पहुँच बने , चाहे वे अध्यापक, डॉक्टर , वकील , इंजीनियर या वास्तुकार हों । विकलांग व्यक्तियों को भी अपनी विशेष क्षति से सम्बन्धित सेवाओं के लिए पेशेवर लोगों की आवश्यकता होती है जिसके लिए बहुगामी कार्यकर्ताओं की परिकल्पना की जा रही है ताकि मानव संसाधन की आवश्यकताओं को नए उदाहरणों के साथ पूरा कर सके। हमने भी इस प्रक्रिया के लिए विकलांग व्यक्तियों , पेशेवरों और अभिभावकों के साथ प्रशिक्षण की पहल शुरू कर दी है ।

संभव - समावेशन को संभव करते हुए आदि में स्थित इस परियोजना का उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों व उनके साथ आदि में आनेवाले संरक्षकों के लिए ऐसी प्रक्रिया की ओर है जो उनकी जरूरतों, हित , सुरक्षा और स्थायित्व को विकसित कर सके। यहाँ भी हम सभी आयु वर्ग व सभी प्रकार की विकलांगता के साथ काम करते हैं। नेशॅनल ट्रस्ट के सहयोग से बना नेशनल रिसोर्स सेंटर घर,दफ्तर, शिक्षा, संवाद, गतिशीलता के साधन और मनोरंजन के सुगम साधनों को प्रदर्शित करता है।यह एक प्रदर्शन स्थल के साथ प्रशिक्षण स्थान भी है। यहाँ व्यक्ति और परिवार व्यक्तिगत जाँच, सहयोग तथा भविष्य योजना के लिए वॉक इन सर्विसज/ इंटर्नशिप के द्वारा पहुँच सकते हैं। हमारे द्वारा व्यक्ति के साथ किए जाने वाले कार्यों में आश्रय ,आजीविका और व्यवसाय, स्वास्थ्य, शिक्षा, संबंध, मनोरंजन, पहचान तथा दुरूपयोग , उपेक्षा व दुर्व्यवहार से बचाव व सुरक्षा शामिल है।

यह सुनिश्चित करना कि विकलांग व्यक्ति भी मानव अधिकारों का आनन्द ले पा रहे हैं, यह प्रक्रिया धीमी और असमान है। लेकिन यह सभी आर्थिक और सामाजिक प्रणालियों में जगह बना रहा है । यह मानव अधिकारों के अर्न्तगत मूल्यों से प्रेरित है । प्रत्येक और हर इंसान की अमूल्य गरिमा, स्वायत्तता या आत्मनिर्णय की अवधारणा यह माँग करती है कि व्यक्ति को उसे प्रभावित करने वाले निर्णयों के केन्द्र में रखा जाए, असमानताओं के बावजूद निहित समानताओं को समाज के द्वारा उचित सामाजिक समर्थन के साथ व्यक्ति की स्वंतत्रता को बनाए रखने की आवश्यकता है । विकलांगता और मानवाधिकार - संयुक्त राष्ट्र

जेरार्ड क्विन और थीरिसिया डीक्वीनर

शहर की बाधाएँ
ज्योतिका

शहरों में उनके निवासियों को देने के लिए बहुत कुछ मिलता है । इन शहरों का निर्माण न केवल व्यवस्थित है , बल्कि यह शिक्षा , मनोरंजन , सेहत , व्यवसाय और आवागमन आदि की सुविधाएँ भी देते हैं। इसके बावजूद कुछ प्रश्न हैं जिनका उत्तर मिलना आवश्यक है जैसे क्या इन कस्बों और शहर की निर्माण व्यवस्था ऐसी है जिसको विकलांग व्यक्ति भी अपनी सुविधा अनुसार उपयोग कर सके? क्या विकलांग व्यक्ति इन शहरों में अपनी सुविधानुसार सुरक्षित विचरण कर सकते हैं ? क्या वो स्वतन्त्र रूप से बाहर जाते हुए खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं? ऐसे प्रश्नों पर रोशनी डालने के लिए यहाँ एक विकलांग महिला ने अपने निम्नलिखित जीवन अनुभव बताएं हैं जो कि उन्हें दो देशों में मिले हैं ।

क्या इन कस्बों और शहर की निर्माण व्यवस्था ऐसी है जिसको विकलांग व्यक्ति भी अपनी सुविधा अनुसार उपयोग कर सके?

2012- ज्योतिका का दिल्ली के ग्रेटर कैलाश मार्केट का दौरा

मैं दक्षिण दिल्ली के ग्रेटर कैलाश कालोनी में अपने परिवार के साथ रहती हूँ । 29 जुलाई रविवार को मैं अपनी व्हीलचेयर पर इस क्षेत्र में घूमने गई । ग्रेटर कैलाश में असमतल सड़कें हैं जिस पर जगह-जगह गड्ढे , स्पीड ब्रेकर और सीवर के ढक्कन हैं जिससे सवारी करने में कठिनाई होती है। सड़क की यह स्थिति इंग्लैंड की तुलना में भारत में ज़्यादा देखने को मिलती है ।

1990 ज्योतिका का विल्टन पार्क का दौरा , इग्लैंड

विल्टन पार्क के अन्दर जाते समय हमें लम्बे और ऊंचे कोनिफर के पेड़ दिखाई देते हैं । इन्हीं पेड़ों के सामने कार पार्किंग है । इसी कार पार्किंग से गुजरकर हम बच्चों के खेलने के मैदान में आ जाते हैं जहाँ एक ऐसी ढलान है जिस पर व्हीलचेयर और बग्गी आसानी से चलाई जा सकती है। इस मैदान में कुछ झूले जैसे सी - सॉ, स्लाइड , बच्चों की सवारी के लिए दो छोटे घोड़े हैं , जो लकड़ी से बने हैं जिससे बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित होती है। विल्टन पार्क में मैंने अपने माता - पिता के साथ इन्ही झूलों और घोड़ों पर सवारी की है। मुझे इसकी फिसल पट्टी पर फिसलना बहुत पसंद था क्योंकि यह लकड़ियों से निर्मित थी, मुझे आगे पीछे तेजी से झूलना अच्छा लगता था और उस रोमांच में मेरी चीख निकल जाती थी ।

छः चीज़े खोजे जो कैन्टीन में एकीकरण को दर्शाता है

उत्तर अंतिम पृष्ठ पर

यू.एन. सी.आर.पी.डी.

विकलांग लोगों के समूह ने मिलकर इस यू.एन.सी.आर.पी.डी. को बनाया है । समूह के सदस्य कई अलग देशों से थे। इस अंतराष्ट्रीय अधिनियम की मदद से हमारे देश के कानूनों में भी बदलाव लाया जाएगा, क्योंकि हमारे देश ने इस अधिनियम पर हस्ताक्षर किये हैं । अब यह हमारे देश का कर्तव्य भी बन गया है कि हमारे कानूनों को बदला जाए।

इस कन्वेंशन का उद्देश्य है कि विकलांग व्यक्तियों के मानवाधिकारों और मूलभूत स्वतंत्रता को बढ़ावा मिले और वह उसका पूरा आनन्द उठा सकें और उनकी प्रतिष्ठा (dignity) का सम्मान हो।

यू.एन.सी.आर.पी.डी के अनुसार विकलांगता क्या है ?

विकलांगता शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व बौद्धिक भी हो सकती है। समाज में उपस्थित बाधा और विकलांगता की वजह से विकलांग व्यक्ति अपने अधिकार पूरी तरह से नहीं पाते हैं। इस स्थिति को विकलांगता कहा जाता है ।

विकलांगता शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व बौधिक भी हो सकती है। समाज में बाधा और विकलांगता की वजह से विकलांग व्यक्ति अपने अधिकार पूरी तरह से नहीं पाते हैं। इस स्थिति को विकलांगता कहा जाता है ।

यू.एन.सी.आर.पी.डी के हिस्से -

इस अंतर्राष्ट्रीय अधिनियम/ कन्वेंशन को तीन हिस्सों में बांटा जा सकता है।

पहला, धारा 1 से 9 जो इसकी नींव है । इन धाराओं के द्वारा हम इस अधिनियम के उद्देश्य को समझ सकते हैं। विकलांगता से जुड़े , मुद्दों और अधिकारों के बारे में समझ सकते हैं । इन धाराओं के द्वारा विकलांग लोगों के अधिकारों को और मज़बूत किया जा सकता है ।

दूसरा, धारा 10 से 30 तक पूरा होता है। इन धाराओं के द्वारा विकलांग व्यक्ति अपने अधिकार पूर्ण रूप से पा सकते हैं।

तीसरा, धारा 31 से 50, तक जिससे विकलांग लोगों के अधिकार और भी मज़बूत बनते है। इन धाराओं से हमारे अधिकारों के उल्लंघन होने से बचाव व सुरक्षा मिलती है। यह धाराएँ सरकार की जिम्मेदारीयों के बारे में बताती है और अंतराष्ट्रीय देशों के बारे में भी बताती है ।

यू.एन.सी.आर.पी.डी के सिद्वान्त-

- प्रतिष्ठा **(dignity)** का सम्मान, अपने निर्णय लेने की स्वतंत्रता और व्यक्ति की स्वतंत्रता।
- भेदभाव न करना ।
- समाज में समावेश और पूर्ण व प्रभावी भागीदारी।
- विकलांग व्यक्ति मनुष्य जाति का एक अंग है अतः उनकी विभिन्नता का सम्मान होना चाहिए।
- समान अवसरों का अधिकार।
- सुगमता
- महिलाओं और पुरूषों में समानता।
- बच्चों की उभरती प्रतिभा का सम्मान। बच्चों की पहचान को सुरक्षित रखने का अधिकार ।

यू.एन.सी.आर.पी.डी. की धाराऐं-

1	उद्देश्य	24	शिक्षा
2	परिभाषाऐं	25	स्वास्थ्य
3	सामान्य सिद्वान्त	26	प्रवास और पुर्नवास
4	सामान्य दायित्व	27	कार्य और रोज़गार का अधिकार
5	समानता और भेदभाव न करना	28	पर्याप्त रहन-सहन व सामाजिक सुरक्षा
6	विकलांग महिलाएँ	29	राजनैतिक और सार्वजनिक जीवन में भागीदारी
7	विकलांग बच्चे		

8 जागरूकता फैलाना

9 सुगमता

10 जीवन जीने का अधिकार

11 खतरे की परिस्थिति और मानवतावादी आपात स्थिति

12 कानून के आगे समान रूप से मान्यता

13 न्याय पर पहुंच

14 विकलांग व्यक्ति की सुरक्षा व स्वतंत्रता

15 विकलांग व्यक्तियों को यातनाओं, निर्दयता , कठोर या अपमानजनक व्यवहार और सजा से स्वतंत्र रखना

16 शोषण, निरादर और दुर्व्यवहार से स्वतंत्रता

17 व्यक्ति की प्रतिष्ठा की सुरक्षा

18 कहीं भी आने-जाने की स्वतंत्रता और राष्ट्रीयता

19 स्वतंत्रता से रहने और समुदाय में सम्मलित होना

20 व्यक्तिगत गतिशीलता , कहीं भी अपने जाने की स्वतंत्रता और राष्ट्रीयता

21 अभिव्यक्ति करने और दृष्टिकोण रखने की स्वतंत्रता और जानकारियों तक पहुँच

22 गोपनीयता के लिए सम्मान

23 घर व परिवार के लिए विकलांग व्यक्तियों के अधिकार का सम्मान

30 सांस्कृतिक जीवन, मनोरजंन, अवकाश व खेल-कूद में भागीदारी

31 आंकड़े और आंकड़ा संग्रह

32 अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

33 राष्ट्रीय कार्यान्वयन और निगरानी

34 विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर समिति

35 राज्य के पक्षकारों द्वारा रिपोर्ट

36 रिर्पोटों पर विचार

37 सरकार और समिति के बीच सहयोग

38 अन्य निकायों के साथ समिति का संबंध

39 समिति की रिपोर्ट

40 राज्य पक्षकारों का सम्मेलन

41 निक्षेपधारी (डिपाजिटरी)

42 हस्ताक्षर

43 सहमति का बाध्यकारी होना

44 क्षेत्रीय एकीकरण संगठन

45 लागू होना

46 आरक्षण (निर्णय सुरक्षित रखना)

47 संशोधन

48 प्रत्याख्यान

49 सुलभ प्रारूप

50 प्रामाणिक पाठ

जिदंगी

- कुसुम कंसवाल

❖ हर बार हमें जिदंगी कुछ नया सिखाती है, सीखना न चाहो फिर भी सिखा देती है। हम स्टूडेन्ट बनकर हर सीख अपना लेते हैं , कुछ गलतियाँ हो जाए तो सज़ा मिल जाती है। ज़िन्दगी हमारी सबसे अच्छी टीचर है जो अच्छे से भी सिखाती है और डॉट मारकर भी सिखाती है। हमें यह तो नहीं पता कि हम अच्छे स्टूडेन्ट हैं या बुरे पर कोशिश यही रहेगी की अच्छे बनकर रहें।

❖ जिंदगी हर बार हम पर हँसती है और मज़ाक बनाती है, पर इस बार जिंदगी हम पर न हँसेगी और न ही हमारा मज़ाक बनाएगी क्योंकि इस बार हम जिंदगी पर हँसेंगे और हर मुश्किलों का सामना करेंगे , भले ही हम गिर जाएँ पर फिर भी उठने की कोशिश करेंगे और कुछ ऐसे करेंगे की सारा जहाँ हम पर नाज़ करे।

❖ खुले सामान को हम जब भी देखते हैं खुद अपने याद आ जाते हैं जो कभी हमारे साथ थे। काश ,हम उन्हें जाने से रोक पाते, उनके दर्द कम कर पाते, कम से कम आज वो हमारे साथ होते और कभी बिछड़ने का गम ना होता । कितना प्यार करते थे हम उन्हें शायद अब न कर पाएँगे। खुश रहें वो जहाँ भी हैं बस यही दुआ करते हैं।

❖ हमने हर बार ठोकर खाई है किस्मत से, इस बार नहीं खाना चाहते । हिम्मत कर के आगे बढ़ कर सब दुख दर्द भुलाकर इस बार जीतना चाहते हैं यही दुआ हर बार दिल से चाहते हैं।

रोज़गार के लिए संघर्ष

राहुल शर्मा

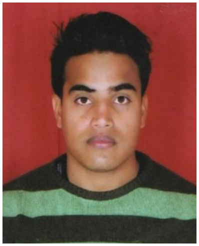

मैं २३ वर्ष का राहुल शर्मा त्रिखा कालोनी का निवासी हूँ । मैंने बी.एस.सी (बायो टैक) तक की शिक्षा प्रथम श्रेणी में उतीर्ण की हैं ।मैं शारीरिक रूप से विकलांग हूँ व विकलांग व्यक्ति के सम्मुख आने वाली परेशानियों से भली भाँति परिचित हूँ। शिक्षा हो या व्यवसाय हो विकलांग वर्ग पिछड़ा हुआ है।

इसका कारण सरकार की विकलांग व्यक्ति के प्रति जागरूकता में कमी है।

विकलांग व्यक्तियों के प्रति उद्योग क्षेत्र की नकारात्मक सोच, कि ये कार्य करने में असमर्थ है के कारण मै आज तक बेरोज़गार हूँ

निःसन्देह विकलांग व्यक्ति के अधिकारों और कर्तव्यों की रक्षा के लिए कानून १९९५ एक्ट बनाया हुआ है परन्तु इसे सख्ती से लागू नहीं किया जा रहा। इससे विकलांग व्यक्ति के अधिकारों का हनन हो रहा है व समाज विकलांग व्यक्ति को दया की दृष्टि से देखता है । मैंने व्यक्तिगत स्तर पर इस प्रकार की समस्याओं का सामना किया है । मुझे स्नातक किए लगभग दो वर्ष हो गए हैं परन्तु विकलांग व्यक्ति के प्रति उद्योग क्षेत्र की नकारात्मक सोच, कि ये कार्य करने में असमर्थ हैं के कारण मैं आज तक बेरोज़गार हूँ । स्थानीय प्रशासन और हरियाणा सरकार को इस विषय में सूचना दी गई है परन्तु वे मौन हैं । जब मैंने शहर के उपायुक्त व सम्बंन्धित अधिकारियों से संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि हम किसी भी कम्पनी को विकलांग व्यक्तियों को रोज़गार देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं व उनका यह अधिकार नही हैं । इसी कारण विकलांग व्यक्तियों को कम्पनी में रोज़गार नहीं मिल रहा है । यदि कोई कम्पनी विकलांग व्यक्तियों को रोजगार देती है तो वे इसे दया की दृष्टि से देखते हैं । वैसे सरकार विकलांग व्यक्तियों को रोजगार व उच्च शिक्षा के लिए लोन देती है परन्तु मेरे व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर लोन के नाम पर विकलांग व्यक्तियों का आर्थिक शोषण हो

विकलांगों को राष्ट्रीय एकता पर बल देना चाहिए जिससे वे सरकार से अपनी बात कह सकें

रहा है । विकलांग व्यक्तियों से अधिक ब्याज लिया जाता है , इस विषय में मैने आर. टी. आई (RTI) दायर की व सभी तथ्यों का खुलासा होने के बाद भी जाँच को लंबित किया जा रहा है ताकि संबंन्धित अधिकारी को राहत मिले और विकलांग व्यक्ति थक कर बैठ जाए ।

विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों व कर्तव्यों की रक्षा करने के लिए विकलांग व्यक्तियों को स्वयं ही जागरूक होना पड़ेगा। विकलांग व्यक्ति सरकार की सभी योजनाओं का लाभ उठायें और इनका गलत होने पर विरोध करें ।

विकलांगता के प्रति जागरूकता लाने के लिए सरकार को चाहिए कि छठी से दसवीं कक्षा तक एन.सी. ई.आर.टी के पाठ्यक्रम में विकलांगता के एक अध्याय को शामिल करें जिससे भविष्य में समाज विकलांग व्यक्तियों को दया की दृष्टि से देखना बन्द करेगा ।

विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों व कर्तव्यों की रक्षा करने के लिए विकलांग व्यक्ति को स्वयं ही जागरूक होना पड़ेगा।

मेरे विचार में विकलांग व्यक्तियों को राष्ट्रीय एकता पर बल देना चाहिए जिससे वे सरकार से अपनी बात कह सकें । इस क्षेत्र में काम करने वाली सभी संस्थाओं को साथ मिलकर इस प्रयास को आन्दोलन का रूप देना चाहिये।

मुझे विकलांगता है ।
हाँ यह सच है ।
लेकिन वास्तव में इसका अर्थ यह है कि
मुझे शायद तुमसे
थोड़ा सा अलग
रास्ता लेना है ।
रोर्बट. एम. हेन्सल

अर्थशास्त्र और विकलांगता - दर्सना खीर

एक व्यक्ति के जीवन में धन का बहुत महत्व होता है, खास कर जब वह व्यक्ति शारीरिक रूप से विकलांग हो । अगर एक विकलांग व्यक्ति अपना जीवन आत्म निर्भर होकर बिताना चाहे तो उसे अपने जीवन यापन के लिए किसी को सहायक रखना पड़ेगा, जिसके लिए उसे धन की आवश्यकता पड़ेगी ।

जब हम अधिकार और समानता की बात करते है तो सबसे पहले वह घर से शुरू होता है। हमें छोटे-छोटे अधिकारों जैसे खाना व कपड़े की पसंद बताना, के अवसर मिलें। इसके अलावा हमें बाकी जरूरतों जैसे मनोरंजन और पर्यटन के लिए भी पैसे की आवश्यकता होती है। बढ़ती उम्र के साथ बहुत सी स्वास्थ सम्बन्धी ज़रूरतें बढ़ जाती हैं। विकलांग व्यक्ति अपने परिवार और बंधुजनों पर स्वास्थ्य सम्बन्धी सहायता के लिए निर्भर नहीं हो सकता । इसलिए उसे अपने जीवन-यापन के लिए आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। ताकि वह अपने खर्चों का निर्वाह स्वयं कर सके और परिवार पर बोझ न बने।

मेरा दयालपुर दौरा - पंकज कपूर

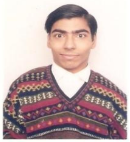

मैं किसी सामुदायिक कार्य के हेतु दयालपुर गया था। वहाँ के ग्राम पंचायत ने बहुत चर्चा के पश्चात एक रैम्प बनवा दिया था लेकिन वहाँ शौचालय नहीं थे। इसीलिए अक्सर बच्चों की माताएँ उन्हें शौच कराने के लिए गोद में उठाकर बाहर ले जाती थी । स्कूल के अन्दर विकलांग व्यक्तियों के लिए उपयुक्त शौचालय नहीं थे इसलिए मैंने यह सुझाव दिया कि शौचालय का इस प्रकार पुनः निर्माण किया जाए जिससे उसका दरवाजा चौड़ा हो सके ताकि एक व्हीलचेयर और सहायक आराम से अन्दर जा सके। दयालपुर में यातायात के लिए दिक्कत होती है इसलिए वहाँ के लोगों को अधिक चलना पड़ता है। मैं सोचता हूँ कि हरियाणा यातायात प्राधिकरण से बात कर सभी बसों, ऑटो, टैम्पो , रिक्शा में रैम्प लगवाने का आग्रह करना पड़ेगा।

समेकित शिक्षा पर कुछ विचार - शीतल बत्रा

हर बच्चे का अधिकार है सबके साथ पढ़ना और आगे बढ़ना,
फिर क्यों नहीं माता - पिता के अलावा और कोई यह समझता
हर बच्चे में है क्षमता , भावनाएँ व विचार ,
पर कोई दे के तो देखे सबको अवसर एक बार ।

सरकार के कारण बच्चे आ तो गए स्कूल के भीतर
पर क्या वह हैं भीड़ में सबके साथ ?
स्कूल में दाखिले के बाद दोस्त बने , पहचान बढ़ी ,
खेल का मैदान मिला और खाने-पीने की मौज हुई ।

हर बच्चे का अधिकार है सबके साथ पढना और आगे बढ़ना

पर फिर भी बच्चे को सबसे नटखट कहकर कक्षा में ही बैठाया जाता,
जबकि बाकी बच्चे प्रार्थना करने जाते हैं मैदान में ,
क्या हर बच्चे का अधिकार नहीं कि वह भी जानकारी और सूचना पा सके ?

और दोस्त होकर भी क्यों वह उनकी मार खाता है ?
बस इसलिए कि वह टीचर से शिकायत कर नहीं पाता है।

मम्मी का टीचर से पूछना कि आज कैसा रहा , क्यों ले आता है माथे पर शिकन ?
क्या उनका बेटा वह कक्षा के अन्य सहपाठियों की तरह एक बच्चा नहीं कहलाता ?

क्या हर बच्चे के माता - पिता उसे स्कूल भेजकर सुकून से रह पाते हैं ?
या कुछ यह सोच में बैठते हैं कि आज मेरे बच्चे की कौन सी शिकायत आएगी ,

और फिर एक बार मुझे सताएगी।

क्या हर बच्चे के माता पिता उसे स्कूल भेजकर सुकून से रह पाते हैं
या कुछ यह सोच मे बैठे हैं कि आज मेरे बच्चे की कौन सी शिकायत आएगी और फिर एक बार मुझे सताएगी।

वह भी चाहता है
कि उसकी पहचान
बने आदर और
सम्मान के साथ ,
कोई तो हो जो
उसकी खामोशी को स्वीकार करे और समय देकर हर बात सुने
चाहे वह हो शब्द, इशारे या संकेत ।
पर मैं समझती हूँ कि क्या करें टीचर भी?
इनके लिए यह है पहली बार ,
पढ़ाना सबको मिलकर एक साथ ।
मेरे ख्याल से इसको मुमकिन बनाने के लिए चाहिए बातें चंद,
धैर्य, खुला मन, योजना व लग्न ,
और वह केवल एक दिन नहीं बल्कि निरन्तर ।
पालन करके तो देखो एक बार ,
यह भी है आपका शिष्य होनहार , अवसर दे के तो देखो एक बार ।

पृष्ठ 7 के चित्र के उत्तर: 1 दरवाज़े की चौड़ाई इतनी है कि व्हीलचेयर आ जा सके
२ दो लोग सांकेतिक भाषा में बात कर रहें है
३ काउंन्टर की ऊँचाई व्हीलचेयर इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति के लिए उचित है।
४ खाने की सूची ब्रेल भाषा में है
५ ऐसे इंसान जिन्हें कम दिखाई देता है, वे भी कैन्टीन का इस्तेमाल कर पा रहे हैं
६ एक व्यक्ति बैटरी चलित व्हीलचेयर का प्रयोग कर रहा है तथा मेज़ की ऊँचाई उनके जरूरतों के अनुसार है

सम्पादकीय समूह
दीपक जैन
इन्द्रनील चक्रवर्ती
मीनू मनी
मोहम्मद सरफराज़
निधि जालान
राजीव उप्पल
शहाना चक्रवर्ती
तेजेश कुमार जैन

अनुवाद:
अल्का सिंह
प्रमोद शर्मा
विश्लेषन : मलय चक्रवर्ती
रचना : राधिका चन्द्रशेखर

aadi
Action for Ability Development and Inclusion
Formerly The Spastics Society of Northern India